KANNAUJ POLICE

दिनाँकः 15, सितम्बर 2023 **कोतवाली – गुरसहायगंज**

टप्पेबाजी घटना का 48 घंटे के भीतर सफल अनावरण। शत प्रतिशत बरामदगी।

पुलिस अधीक्षक कन्नौज अमित कुमार आनन्द के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज डॉ0 अरविन्द कुमार के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सदर डॉ0 प्रियंका बाजपेयी के पर्यवेक्षण मे कोतवाली गुरसहायगंज पुलिस द्वारा टप्पेबाजी गैंग का खुलासा किया गया।

संक्षिप्त विवरण :- दिनांक 13/09/2023 को कस्बा गुरसहायगंज बैंक ऑफ इंडिया बैंक से पैसे निकाल कर वापस जा रहे एक वृद्ध व्यक्ति को लिफ्ट देने के बहाने अभियुक्तगण द्वारा अपनी मोटर साइकिल बिठाया गया था। ब्लेड के माध्यम से अभियुक्तगण द्वारा जेब काट ली गई। बीच रास्ते वृद्ध व्यक्ति को उतर जाने को बताया गया। जब उतरे तो ज्ञात हुआ की उनकी जेब में रखे ₹ 52000 रुपए निकाल लिए गया है। इनके द्वारा शोर मचाया गया। क्षेत्र में गश्त कर रही चीता मोबाइल पर ड्यूटीरत का0 मोनू कुमार द्वारा अभियुक्तगण का पीछा किया गया। दो मोटर साइकिल पर चार अपराधी थे। इसमें से एक बाइक फिसल कर गिर गई। अभियुक्तगण भागने में सफल हुए। बरामद मोटरसाइकिल नं0 UP74AF 6597 काली स्पलेण्डर प्लस के आधार पर चारो अपराधियो की पहचान हुई। वादी रामपूत पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम रामपुर भुडिया थाना गुरसहायगंज जिला कन्नौज की तहरीर के आधार पर पर मु0अ0स0 577/2023 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया। दिनांक 15/07/2023 को जलालाबाद जीटी रोड हाइवे अण्डरपास के पास से अभियुक्तगण 1.अनुज गिहार उर्फ छोटू पुत्र सुरेश गिहार निवासी बोध नगर थाना तिर्वा जनपद कन्नौज 2.विपिन गिहार उर्फ पण्डा पुत्र हरिश्चन्द्र गिहार नि0 जवाहर नगर थाना तिर्वा जनपद कन्नौज को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अनुज गिहार उर्फ छोटू के पास से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व अभियुक्त विपिन गिहार उर्फ पण्डा उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा दोनों अभियुक्तों के कब्जे से कुल 55,000/- रुपये बरामद हुये। पूछताछ में इनके द्वारा दिनाक 17.8.23 को थाना गुरसहायगंज में हुई टप्पेबाजी घटना को भी इनके द्वारा कारित करना स्वीकार किया गया। जिस संबंध में थाना गुरसहायगंज पर मु0अ0सं0 506/2023 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त दोनों अभियोगों में अभियुक्तगण का नाम प्रकाश मे लाते हुये बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी तथा अग्रिम कार्यवाही करते हुये थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 580/2023 धारा 3/25 आयुध अधियनियम 1959 बनाम अनुज गिहार उर्फ छोटू पुत्र सुरेश गिहार व मु0अ0सं0 581/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम 1959 बनाम विपिन गिहार उर्फ पण्डा पुत्र हरिशचन्द्र गिहार के विरुद्ध पंजीकृत किया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1.अनुज गिहार उर्फ छोटू पुत्र सुरेश गिहार निवासी बोध नगर तमोली मंदिर के पीछे थाना तिर्वा जनपद कन्नौज।

2.विपिन गिहार उर्फ पण्डा पुत्र हरिश्चन्द्र गिहार नि0 जवाहर नगर तमोली मंदिर के सामने थाना तिर्वा जनपद कन्नौज।

नाम पता वांछित अभियुक्तगण :-

1.संजय गिहार पुत्र सुरेश गिहार निवासी जवाहर नगर तमोली मंदिर के सामने थाना तिर्वा जनपद कन्नौज।

2.आशिक पुत्र मोती निवासी बोध नगर तमोली मंदिर के पीछे थाना तिर्वा जनपद कन्नौज।

पंजीकृत अभियोग का विवरण :-

1.मु0अ0सं0 580/2023 धारा 3/25 आयुध अधियनियम 1959 बनाम अनुज गिहार उर्फ छोटू।

2.मु0अ0सं0 581/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम 1959 बनाम विपिन गिहार उर्फ पण्डा।

बरामदगी का विवरण :- बरामदगी का विवरण :- 1. ,₹ 55000 रुपए। 2. 02 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पूर्व अपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त आशिक पुत्र मोती निवासी बोध नगर तंबोली मंदिर के पीछे थाना तिर्वा कन्नौज मुकदमा अपराध संख्या 263 / 22 धारा 392 / 411 भादवि थाना तिर्वा

पूछताछ का विवरण :- अभियुक्त अनुज गिहार उर्फ छोटू व अभियुक्त विपिन गिहार उर्फ पण्डा द्वारा गहनता से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि 52,000/- रुपये जो हमारे पास से मिले हैं यह रुपये हमने दिनांक 13/09/2023 को समय दोपहर 14.30 बजे अपने भाई संजय गिहार पुत्र सुरेश गिहार निवासी जवाहर नगर तमोली मंदिर के सामने थाना तिर्वा जनपद कन्नौज व मित्र आशिक पुत्र मोती निवासी बोध नगर तमोली मंदिर के पीछे थाना तिर्वा जनपद कन्नौज के साथ मिलकर दो मोटर साइकिल से कस्बा गुरसहायगंज मे स्थित बैंक ऑफ इण्डिया से एक बूढे व्यक्ति की रैकी कर उसे उसके स्थान पर छोडने के बहाने अपनी मोटर साइकिल नम्बर UP74AF 6597 मे बिठाकर ले जाते वक्त उसकी जेब काट कर 52,000/- रुपये निकाल लिये थे और उसे बाबा निजामी अस्पताल के पास उतार दिये थे उसके बाद थाने की चीता मोबाइल द्वारा हम लोगों का पीछा किया गया था तो मेरी मोटर साइकिल स्लिप कर गयी थी जिससे हम लोग अपनी मोटर साइकिल नम्बर UP74AF 6597 को छोड कर अपने साथी वाली मोटर साइकिल से भाग गये थे अभियुक्तगण से अन्य बरामद 3000/- रुपयों के सम्बन्ध मे जानकारी की गयी तो दोनों व्यक्तियों ने बताया कि साहब हम दोनों ने दिनांक 17/08/2023 को मक्का बेंच कर लौट रहे व्यक्ति की रैकी कर दोपहर के समय नदसिया गांव के पास सतौरा गांव का रास्ता पूँछते हुये एक व्यक्ति को अपनी मोटर साइकिल पर बैठाया था और मौका देख उसकी जेब काट कर 50,000/- रुपये निकाल लिये थे और उस व्यक्ति को गांव के स्कूल के पास उतार कर चले गये थे। मिले रुपयों को हम दोनों ने आपस मे बांट लिया था। पकडे गये व्यक्ति अनुज गिहार उर्फ छोटू के पास से बरामद 1200/- रुपये तथा विपिन गिहार उर्फ पण्डा के पास से बरामद 1800/- रुपये दोनों पकडे गये व्यक्ति द्वारा उसी घटना से सम्बन्धित होना तथा शेष रुपये खर्च हो जाना बताया।

अभियुक्तगण के अपराध करने का तरीका :- अभियुक्तगण 1.अनुज गिहार उर्फ छोटू पुत्र सुरेश गिहार निवासी बोध नगर तमोली मंदिर के पीछे थाना तिर्वा जनपद कन्नौज 2.विपिन गिहार उर्फ पण्डा पुत्र हरिश्चन्द्र गिहार नि0 जवाहर नगर तमोली मंदिर के सामने थाना तिर्वा जनपद कन्नौज 3.संजय गिहार पुत्र सुरेश गिहार निवासी जवाहर नगर तमोली मंदिर के सामने थाना तिर्वा जनपद कन्नौज 4.आशिक पुत्र मोती निवासी बोध नगर तमोली मंदिर के पीछे थाना तिर्वा जनपद कन्नौज शातिर किस्म के टप्पेबाज हैं अभियुक्तगण द्वारा बैंक/एटीएम आदि स्थानों के आस पास घूमफिर कर पैसा लेकर आने जाने वाले व्यक्तियों पर नजर रख उनकी रैकी कर उनको गुमराह कर रास्ता पूँछने / लिफ्ट देने आदि के बहाने से अपनी बातो मे उलझा कर जेब काटने जैसी घटना को अन्जाम दिया जाता है।

फोटो अभियुक्त

गिरफ्तारी/बरामदगी टीम :-

1.उ0नि0 विनय शर्मा कोतवाली गुरसहायगंज जनपद कन्नौज।
2.उ0नि0 अजब सिंह कोतवाली गुरसहायगंज जनपद कन्नौज।
3.का0 716 मोनू कुमार कोतवाली गुरसहायगंज जनपद कन्नौज।
4.का0 456 कुलदीप कुमार कोतवाली गुरसहायगंज जनपद कन्नौज।
5.का0 467 सौरभ सिंह कोतवाली गुरसहायगंज जनपद कन्नौज।
6.का0 376 दीपान्शू गंगवार कोतवाली गुरसहायगंज जनपद कन्नौज।